

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**

**आदेश**

संख्या—३ / विविध—०१—८३ / २०१७—

/ स्वा०, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्बर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार के साथ बिहार कोषागार संहिता—२०११ के नियम—४ के तहत अगले आदेश तक उनके नाम के समुख स्तम्भ—०३ में अंकित कार्यालय का प्रभार (वित्तीय शक्ति संहिता) दिया जाता हैः—

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम/पदनाम २	अतिरिक्त प्रभार के कार्यालय का नाम ३
१.	डा० श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, फाइलरिया नियन्त्रण, बिहार, पटना
२.	डा० अनिल कुमार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना	क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, पटना प्रमडल, पटना


- २ नियमित पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी ।  
 ३ प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के अवर सचिव

ई-मेल

- ज्ञापांक— १२९(३) / स्वा०, पटना, दिनांक : ०७/०३/२०२५  
 प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: सबधित प्रमडलीय आयुक्त/सबधित जिलाधिकारी/सबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सबधित असौनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/राबधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सबधित कोषागार पदाधिकारी/सबधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: विभागीय प्रशासना—२, ७, ९, १२, १७ एवं १८ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०य०लिड को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव